फर्द अहकाम

(नियम 36)

मुकाम

बनाम

नं. सन्

मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

xx पत्रावली पेश हुयी। बहुलाय उप० आय2। हमने पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र कायम-मुकमान एवं मियाद अधिनियम एवं जवाब का अवलोकन का अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक गण उभयपक्षकारान् पर मनन किया।

प्रतिवादी सं. 1 का निधन 15.01.2014 को हुआ। वादीगण ने 09.11.16 को कायम मुकाम प. सं. का प्रार्थना-पत्र मय प्रार्थना-पत्र धारा-5 मियाद अधि० पेश किया। न्यायालय से निवेदन किया कि देरी माफ की जाकर कायम मुकमान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश फरमावें। जवाब प्रार्थना-पत्र में विद्वान अधि० प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्र. सं. 1 की मृत्यु हुये 2 वर्ष व्यतीत हो चुके है। जिसके उत्तराधिकारी नन्द किशोर, हरि चन्द, गिरिजा पुत्र-पुत्री एवं विधवा बतलाई है। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र मृत्यु से 90 दिन में पेश हो जाना चाहिये था जो नही हुआ। विलम्ब का कारण वह विधिक रूप से असत्य एवं अविश्वसनीय होने से प्रार्थना पत्र खारिज कर वाद भी खारिज फरमाया जावे।

बहस में अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी ने स्वीकार एवं अप्रार्थी ने अस्वीकार करने का निवेदन किया।

परिसीमा अधि० की धारा 120 में स्पष्ट प्रावधान है कि "किसी मृत वादी / अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सी.पी.सी के अधीन पक्षकार बनवाने के परिसीमा का समय यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 (नब्बे) दिन नियत की गयी।"

लगातार...

Scanned with CamScanner

विचाराधीन प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने स्वयं अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि प्रतिसं. 1 की मृत्यु 15.01.2014 को हुयी थी। जबकि कायम मुकामान का प्रार्थना-पत्र 9.11.2016 को न्यायालय हाजा में लगभग दो वर्ष पश्चात पेश किया। निकट परिजन की मृत्यु का पता 2 वर्ष बाद लगाना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विलम्ब माफी योग्य नही होने से काबिले खारिज है। अतः धारा-5 मियाद अधि० प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र कायम-मुकामान देरी से पेश करने कारण अस्वीकार किया जाने से वाद स्वतः खारिज होजाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।